

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 9/2023

दायर दिनांक : 06/04/2023

निर्णय दिनांक : 14/02/2024

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरालाल पिता गोकल गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. मोहनलाल पिता मेघा गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. अम्बालाल पिता छगन गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
4. हजारी पिता छगन गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
5. बाबूलाल पिता छगन गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
6. छोगालाल पिता उदयराम ब्राह्मण निवासी उदयपुर
7. किशन पिता भैरूलाल टांक निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का रवीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि गौजा ग्राम बबराना तहसील भूपालसागर की खाता सं. 83 में आ.सं. 1926 रकबा 0.28 है, आ.सं. 1927 रकबा 0.58 है, भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमाकन की टीम गठित कर वारां दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत सघारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विवाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहसीर जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

